भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171 003

सत्यमेव जयते

Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla-171 003

परिपत्र (प्रशासन)

मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1436-Staff (App)-I/01-2024/Vol.IV दिनांक 19.08.2024 द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बाहर (outside IA&AD) कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक/पात्र अधिकारियों से आवेदन मांगे गये हैं।

इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार निम्नलिखित पदों हेतु नीचे दर्शाये गये संवर्ग में पात्र/इच्छुक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम सं0	(Borrowing office)	जिस पद के लिए प्रतिनियुक्ति मांगी गई है	पद का नाम जो आवेदन के लिए पात्र है
1.	Salar Jung Museum, Hyderabad, Ministry of Culture, GoI	Administrative cum Accounts Officer (Level- 09)	Asstt. Auditor Officers on regular basis in Level-09

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:

a. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार,**कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगी।

b. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियो को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

c. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को **56 वर्ष है।**

d. इच्छुक/योग्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए अपने आवेदन पूर्ण बायोडाटा के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक **26-08-2024 तक** प्रेषित कर सकते हैं।

e. चयन की स्थिति में उम्मीदवार को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ऐसा करने पर 03 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

e. केवल नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) के आवेदनों पर विचार किया जाएगा

f. **'Spouse Grounds'** पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को अपने जीवनसाथी के रोजगार विवरण/रोजगार के प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन अग्रेषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय उम्मीदवार की उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगा।

हस्ता/-

वरि0 उप महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या:- प्रशासन/ले0प0/प्रतिनियुक्ति/आई0ए0एंडए0डी0/2024-25/1810-12 दिनांक:23.08.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:

i. सचिव प्रधान महालेखाकार
ii. निजी सहायक, सभी समूह अधिकारी
iii. संयुक्त ई-मेल (cag-all-audithp@lsmgr.cag.gov.in)

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

23/8